



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272385
CG-DL-E-09052026-272385

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2270]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2270]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2361(अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 137 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संहिता के अधीन अभियोजन कार्यवाहियों को शुरू करने का विनियमन करने के प्रयोजनों के लिए, संहिता के अध्याय 4 की धारा 24 की उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किए गए बीमा आयुक्त, अपर आयुक्त, क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'क'/निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक श्रेणी 'ख'/संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक को, उनके संबंधित क्षेत्रीय और कार्यात्मक अधिकारिता के भीतर, उक्त संहिता की धारा 137 के उपबंधों के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[फा. सं. आर-19025/15/2026-एस एस-1]

आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2361(E).— In exercise of the powers conferred by section 137 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), for the purposes of regulating the initiation of prosecution proceedings under the said Code, the Central Government hereby notifies Insurance Commissioner, Additional Commissioner, Regional Director Grade 'A'/Director, Regional Director Grade 'B'/Joint Director, Deputy Director, Assistant Director, appointed under sub-section (7) of Section 24 of Chapter IV of the Code, for the purposes of the provisions of section 137 of the said Code, within their respective territorial and functional jurisdiction.

[F. No. R-19025/15/2026-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.